

कार्यालय-मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 599 / वाद सं० एल-0062 / एस-5 / 2024 दिनांक: 04/5/2024

श्री एन० एच० पाईथेनी,
गढवाली कॉलोनी, किददूवाला,
देहरादून ।

आपके द्वारा स्थल पर लगभग 10 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत ले-आउट के डिमार्केशन कर प्लॉटिंग किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973) संशोधन अधिनियम-2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० एल-0062 / एस-5 / 2024 योजित किया गया था।

उपरोक्त वाद में दिनांक 19.03.2024 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम-2009 की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी। जिसे स्थल पर तामिल किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि आप द्वारा उपरोक्त स्थल पर अनाधिकृत प्लॉटिंग के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2024 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे, इसी क्रम में विपक्षी को कार्यालय पत्रांक 9628 दिनांक 28.03.24 के माध्यम से अनाधिकृत प्लॉटिंग को ध्वस्त करने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 04.04.24 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। विपक्षी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्यालय पत्रांक 175 दिनांक 22.04.24 के माध्यम से अनाधिकृत प्लॉटिंग को ध्वस्त करने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 25.04.24 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई अभिलेख/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण/प्लॉटिंग में ध्वस्तीकरण कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण/प्लॉटिंग को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

-आदेश-

अतः विपक्षी श्री एन० एच० पाईथेनी, गढवाली कॉलोनी, किददूवाला, देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर भूतल पर लगभग 10 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत ले-आउट के डिमार्केशन कर प्लॉटिंग किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973) संशोधन अधिनियम-2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत प्लॉटिंग को दिनांक 10-5-24 को ध्वस्त किया जाना है। आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय। तदनुसार सूचित हो।

अधिशायी अभियन्ता / पी०अधि०,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।